

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

56-2025/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 24, 2025 (CHAITRA 3, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 24th March, 2025

No. 14-HLA of 2025/20/5553.— The Aparna Institution (Taking over of Management and Control) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No.14- HLA of 2025

THE APARNA INSTITUTION (TAKING OVER OF MANAGEMENT AND CONTROL) BILL, 2025

A

BILL

to provide for the taking over, in the public interest, for a limited period, for proper and efficient management and control of Aparna Institution situated within the revenue estate of Village Silokhra, District Gurugram, falling within the territorial jurisdiction of the State of Haryana, and for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Aparna Institution (Taking Over of Management and Control) Act, 2025.

Short title and commencement

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Administrator" means the Administrator appointed by the Government under section 5;
 - (b) "appointed day" means the date of publication of this Act in the Official Gazette;
 - (c) "Government" means the Government of the State of Haryana;
 - (d) "Institution" means Aparna Institution situated at Village Silokhra, Tehsil Wazirabad, District Gurugram, Haryana;
 - (e) "property" means the land ad-measuring 24 acres 16 marlas situated within the revenue estates of Village Silokhra, Tehsil Wazirabad, District Gurugram, Haryana and all the buildings existing thereon, and all other properties of whatever nature as form part of, or are relatable to the Institution and all other rights and interests arising out of such properties;
 - (f) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
 - (g) "Society" means Aparna Ashram Society (Registration No. S-5766 of 1973-74) registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) having its registered office at A-50, Friends Colony, Mathura Road, New Delhi.

Vesting of management and control of Institution in Government. 3. On and from the appointed day and for a period of ten years thereafter, the management, control and possession of the property of the Institution and as was immediately before the appointed day under the management and control of the authority/governing council of the Institution by whatever name called shall vest in the Government, and all persons responsible for the management and control of the business and affairs of the Institution immediately, before the appointed day, shall cease to exercise such control and management and shall be deemed to have vacated their offices as such:

Provided that if the Government is of the opinion that in order to secure the proper and efficient management of Institution and its further development after the expiry of the said period of ten years, it may, issue directions for the continuance of such management for such period, not exceeding five years, at a time, as it may think fit.

Overriding effect.

- **4.** Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in the Memorandum of Institution,-
 - (a) on and from the appointed day, every member of the Authority/Governing Council of the Institution, by whatever name called, shall cease to exercise any powers whatsoever of management and control in relation to the Institution;
 - (b) it shall not be lawful for the members of the Authority/Governing Council of the Institution by whatever name called or any other person to nominate or appoint any person to look after the management and control of the Institution in any manner whatsoever or its property of whatever nature as form part of, or are relatable to the Institution and all other rights and interests arising out of such property;
 - (c) no resolution in relation to the Institution passed by the members of the Authority/Governing Council of the Institution by whatever name called shall be given effect;
 - (d) no proceedings for the dissolution of the Institution or merger of the Society with any other Institution or for the appointment of a receiver in respect of any asset forming part of, or relatable to the Institution, the management and control of which has vested in the Government under section 3, shall lie in any court except with the written consent of the Government.

Administrator and his powers.

- 5. (1) The Government shall, as from the appointed day, appoint a person as the Administrator, in such manner, having such qualifications and experience, as may be prescribed for the purposes of carrying on the management of the Institution for and on behalf of the Government.
- (2) The Administrator so appointed, notwithstanding anything contained in the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) or any other law for the time being in force, shall in relation to the Institution exercise the powers of the Authority/Governing Council, by whatever name called.
- (3) The Administrator may, from time to time, shall take instructions from the Government as to the manner in which he shall conduct the management of the Institution or in relation to any other matter including its further development arising in the course of such management.

- (4) The Administrator, with the prior written approval of the Government, may appoint any person(s) for the conduct and management of the Institution. The person(s) so appointed shall exercise such powers of the Administrator in the same manner as has been conferred on that person (s) directly by this Act and not by way of authorization.
- (5) The Administrator may delegate any of its powers to the person(s) appointed under sub-section (4) for the purposes of carrying out the management of the Institution for and on behalf of the Government.
- (6) The Administrator shall have the power to institute, defend or take part in, any suit or legal proceedings by or against the Institution.
- (7) The Administrator and any other person (s) appointed by him under this Act shall receive such remuneration, as may be prescribed.
- **6.** The Government, in order to ensure proper and efficient management and control of the Institution and for the assistance of the Administrator shall, constitute a committee, consisting of such persons, having such qualifications and experience, as may be prescribed.

Constitution of committee.

7. The Government may, on an application made by the Administrator or the committee, as the case may be, give grant or advance to the Institution, on such terms and conditions, as the Government may specify for the purposes of managing the business and affairs of the Institution and its further development.

Advance or grant by Government.

8. The Administrator with the assistance of the committee shall make every possible endeavour to achieve the following aims and objectives, namely:-

Aims and objectives of Institution

- to make yoga more popular through diffusion of useful knowledge of yoga among the masses through education, research, training and dissemination to enable the general public to regain health and vigour, to cure problems and the diseases which are curable by resorting to the practice of yoga;
- (ii) to educate people the art and science of yoga in its manifold aspects particularly the higher stages of the same without distinction of any kind whatsoever;
- (iii) to undertake and facilitate practical courses and training in the field of yoga and its application to the well-being and upliftment of humanity;
- (iv) to educate people in the art of healthy living and in eradicating the injurious habits of consuming LSD (lysergic acid diethylamide) and other spurious drugs and drinks with a view to build a better society;
- (v) to teach natural and simple methods of rescuing mental tensions and removing mental imbalance;
- (vi) to create atmosphere for self-purity, universal brotherhood, peace and spiritual values and provide facilities and training for the same;
- (vii) to organize conferences, lectures, seminars, tours and set up study-groups and training programmes;
- (viii) to bring out books, various other publications and literature on yoga with a view to disseminate wider and deeper understanding of the same and to foster its acceptance as a way of life and as developed system;
- (ix) to give assistance, fellowships, scholarship, stipend, or any other kind of benefit to any person, organization or Institution with a view to promote any of the objects of the Institution:
- (x) to invite scholars to take advantage of the facilities offered by the Institution and/or to benefit the Institution by their knowledge and experience;
- (xi) to constitute or cause to be constituted branches, centers, anywhere considered necessary for carrying out, attainment, or in furtherance of any of the objectives;
- (xii) to issue appeals and make applications for money and funds for furtherance of the objectives and to accept gifts, donations and subscriptions in cash or kind;
- (xiii) to assist or cooperate with or to seek assistance of cooperation from associations, institutions, societies etc. engaged in similar objects;
- (xiv) to invest and deal with the advance, grant of money and any other amount received by the Institution in the manner, as may be prescribed;

- (xv) to acquire, purchase, or otherwise own on lease or hire, temporarily, or permanently, any movable or immovable property, necessary or convenient for the furtherance of the objects of the Institution, and to maintain, cultivate or to raise construction on such land:
- (xvi) to establish ashrams, yoga guest house, undertake agricultural and dairy farming, carry out gardening and plantation pursuits and to establish and maintain health resorts and swimming places;
- (xvii) to construct, maintain, alter, improve, or develop any building or works as may be necessary or contingent thereto;
- (xviii) to borrow money on such terms, as considered necessary;
- (xix) to look after the welfare and provide facilities as considered necessary for persons working with the Institution;
- (xx) to do all such lawful acts as considered necessary and conducive to the attainment or furtherance of all or any of the objective.

Delivery of possession of property.

- **9.** (1) Every person having, on the appointed day, in his possession, custody or control any property(s) forming part of, or relatable to the Institution, shall deliver forthwith such property(s) to the Administrator or to any officer or other employee of the Government, as may be authorised by the Government in this behalf.
- (2) Any person who has, on the appointed day, in his possession or under his control, any book, paper or other documents relating to the Institution (including the minute books containing resolutions in relation to Institution adopted by persons in charge of the management of the Institution before the appointed day, the current cheque books relating to the Institution, any letters, memorandum, notes and other communication between him and the Institution shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be liable to account for the books, papers and other documents (including such minute books, cheque books, letters, memorandum, notes and other communications), to the Administrator or to such other person (being an officer or other employee of the Government), as may be authorised by the Government in this behalf.
- (3) Every person in charge of the management of the Institution immediately before the appointed day shall, within seven days from that day or within such further period as the Government may allow in this behalf, furnish to the Administrator, a complete inventory of all the properties and assets (including particulars of donations received, book of accounts, investments and belongings) forming part of, or relatable to the Institution immediately before the appointed day and all liabilities and obligations of the Society in relation to the Institution subsisting immediately before that day and also of all agreements entered into by the Society in relation to the Institution and in force immediately before the appointed day.

Contracts, transfers etc. in bad faith may be cancelled or varied. 10. (1) If the Government is satisfied, after such inquiry, as it may think fit, that any contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement entered into at any time in relation to the Institution with any other person, in so far as such contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement relates to the management of the Institution, has been entered into in bad faith, or is detrimental to the interests of the Institution, it may make an order cancelling or varying (either unconditionally or subject to such conditions, as it may think fit to impose) such contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement and thereafter, the contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement shall have effect accordingly:

Provided that no contract or agreement shall be cancelled or varied except after giving to the parties to the contract or agreement a reasonable opportunity of being heard.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no person in respect of whom any contract, transfer, lease, agreement, or other arrangement is terminated under sub-section (1), shall be entitled to claim any compensation for the premature termination of such transfer, lease, agreement, or other arrangement.

11. Any person who-

- Offences and penalties.
- (a) having in his possession or custody or control any asset or property forming part of, or relatable to the Institution, wrongfully withholds such asset or property from the Administrator or any person authorised under this Act; or
- (b) wrongfully obtains possession of any such asset or property forming part of, or relatable to the Institution; or
- (c) wilfully retains any asset or property forming part of, or relatable to the Institution, or remove or destroy it; or
- (d) wilfully withholds or fails to deliver any books, papers or other documents relatable to the Institution which may be in his possession or custody or under his control, to the Administrator or any person authorised under this Act; or
- (e) fails, without any reasonable cause, to furnish any inventory of properties and assets as provided in sub-section (3) of section 9,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.

12. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Offences by companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other employee of the company, such director, manager, secretary or other employee shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.
- 13. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government, any of its officer or other employee, the Administrator or any person authorised under this Act for anything, which is done or intended to be done in good faith.

Protection of action taken in good faith.

14. The provisions of this Act or any notification, order or rule made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any law other than this Act or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act or in any decree or order of any court.

Act to have overriding effect.

- **15.** (1) The Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.
- Power to make rules.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature.
- **16.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulty.

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

WHEREAS, Swami Dhirendra Brahamchari, a renowned yoga guru was of the view that yoga is the only solution of all the problems and the diseases which are not been cured by allopathic/other types of treatments. He left no stone unturned to popularise yoga through physical demonstrations and speaking about its benefits. His efforts did lead to some benefits to the people but the dimensions of such benefits were limited. On review of his efforts after a period of time, he felt that the health problem of the nation cannot be effectively cured by individual efforts, and that to ensure large scale benefit to humanity, there was a great need for making yoga more popular through institutionalization, to enable people to regain their health and vigour by resorting to the practice of yoga.

AND WHEREAS, in furtherance thereof, Swami Dhirendra Brahamchari incorporated and got registered a Society under the name and style of Aparna Ashram (Regn. No. S-5766 of 1973-74) under the Societies Registration Act, 1860, with the Registrar of Societies, District South-East, New Delhi, having its registered office at A-50, Friends Colony, Mathura Road, New Delhi, for diffusion of useful knowledge of yoga among the mases through education, research, training and dissemination.

AND WHEREAS, apart from incorporating the said Society, Swami Dhirendra Brahamchari also created an institution namely Aparna as a separate entity through an instrument of Memorandum of Institution (MoI) and constituted its independent Governing Council consisting of four members including himself for carrying out the aims and objectives of the said institution and entrusted it the control and management of the institution. The aims and objectives enumerated under the MoI empowers the institution to acquire, purchase, or own any movable or immovable property for establishing yoga ashram, guest houses, undertaking agricultural and dairy farming, carrying out gardening, plantation pursuits, health resorts and swimming places. The said Society was made for the benefit of the public at large, therefore, the said Society comes within the definition of a public trust.

AND WHEREAS, Swami Dhirendra Brahamchari wanted to develop the said institution as a research, development and training centre of yoga, a medical centre of various patients and a conference centre for various yoga scholars of the world. He was of the view that the necessity of spreading the knowledge of yoga in the present mechanized world is of great importance as the cases of physical and mental diseases resulting in disappointment, frustration and mental worries are increasing day by day among the people.

AND WHEREAS, in furtherance to set up, develop and establish the proposed institution, Swami Dhirendra Brahamchari purchased land ad-measuring 24 acres 16 marlas situated within the revenue estates of Village Silokhra, Tehsil Wazirabad, District Gurugram, in the name of Aparna Ashram with the help of donations, grants and the financial assistance received by him from time to time from the Central Government and vested the said land in the institution. Thereafter, various buildings were constructed over the said land after spending crores of rupees 2 and various yoga related activities were started therein. The said institution is located near Sector 30, Gurugram.

AND WHEREAS, in the year 1989, the Government of Haryana, published notification dated 30.01.1989 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, notifying that the lands of Villages Silokra and Sukhrali, Tehsil & District Gurgaon, described therein are required for the public purpose which also included the aforesaid land and building of the institution. After publication of the said notification, the General Body and/or the Governing Council of the Society were prohibited to deal with the said land and building of the institution as a free agent and to create any encumbrances whatsoever in respect of the same. Swami Dhirendra Brahamchari filed objections dated 07.03.1989 under Section 5A of the L.A. Act, 1894 before the Land Acquisition Collector seeking release of the said land and building of the institution from acquisition on the grounds stated therein. The said objections were dismissed and declaration dated 25.01.1990 under Section 6 was issued. Aggrieved therefrom, Swami Dhirendra Brahamchari filed CWP No. 3117/1990 before the High Court of Punjab and Haryana, praying for issuance of writ of certiorari for quashing the said notifications. Perusal of averments of the said writ petition reveals Swami Dhirender Brhamchari's mission of life and the aims and objectives with which he incorporated and got registered the said Society.

AND WHEREAS, on 09.06.1994, Swami Dhirendra Brahamchari died in a plane crash. After his demise, the Society stood divided in two groups, one led by Laxman Chaudhary and the other led by Murali Chaudhry. Later on, Murli Chaudhry removed Subash Dutt and K. S. Pathania of his group from the primary membership of the Society and the said persons formed their separate group. From time to time, these groups enrolled persons of their confidence to increase their majority.

AND WHEREAS, for the past several years inter see disputes are going on between the Society and its members and for the last more than two decades these groups are litigating with each other. These groups are trying to illegally and unauthorisedly sell the aforesaid land and building of the institution against the aims and objects of the institution for their personal gains. There is every likelihood that the moveable and immoveable properties of the institution may get destroyed which will frustrate the very purpose with which the institution was created. Therefore, for the

management, administration, control and regulating the activities of the institution, it is expedient in the public interest to take-over, the management and control thereof in order to achieve the aims and objectives of the institution and to fulfil the wish and will of a yoga guru. Any delay in taking over the management of the said institution would be highly detrimental to the interests, aims and objectives of the said Institution as well as that of the general public and for that purpose to provide for the taking over for the management and control of the said institution.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

RAO NARBIR SINGH, Industries Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 24th March, 2025. DR. SATISH KUMAR, Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per provision made in Section 7 of the proposed Aparna Institution (Taking over of Management and Control) Bill, 2025 the Government may, on an application made by the Administrator or the committee, as the case may be, give grant or advance to the Institution, on such terms and conditions, as the Government may specify for the purposes of managing the business and affairs of the Institution and its further development. However, advance or any grant cannot be forecasted at this stage.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Under Section 3 of the proposed The Aparna Institution (Taking Over of Management and Control) Bill, 2025 powers have been delegated to Government for management, control and possession of the property of the Institution for a period of ten years. Under Section 5(1) of the proposed Bill powers have been delegated to Government to appoint an Administrator. Under Section 5(3) of the proposed Bill powers have been delegated to Government as to the manner in which Administrator shall conduct the management of the Institution or in relation to any other matter including its further development arising in the course of such management. Under Section 5(4) of the proposed Bill powers have been delegated to Government to give written approval to the Administrator to appoint any person(s) for the conduct and management of the Institution. Under Section 6 of the proposed Bill powers have been delegated to Government to constitute a committee, consisting of such persons, having such qualifications and experience, as may be prescribed to ensure proper and efficient management and control of the Institution and for the assistance of the Administrator. Under Section 7 of the proposed Bill powers have been delegated to Government to give grant or advance to the Institution, on such terms and conditions, as the Government may specify for the purposes of managing the business and affairs of the Institution and its further development on an application made by the Administrator or the committee, as the case may be. Under Section 9(1) of the proposed Bill powers have been delegated to Government to authorize any officer or other employee of the Government to take delivery of any property(s) forming part of, or relatable to the Institution from every person having such property, on the appointed day, in his possession, custody or control. Under Section 9(2) of the proposed Bill powers have been delegated to Government to authorize such other person (being an officer or other employee of the Government) to take account of the books, papers and other documents (including such minute books, cheque books, letters, memorandum, notes and other communications) from any person who has, on the appointed day, in his possession or under his control, any book, paper or other documents relating to the Institution (including the minute books containing resolutions in relation to Institution adopted by persons in charge of the management of the Institution before the appointed day, the current cheque books relating to the Institution, any letters, memorandum, notes and other communication between him and the Institution. Under Section 9(3) of the proposed Bill powers have been delegated to Government to allow to extend the period for every person in charge of the management of the Institution immediately before the appointed day to furnish to the Administrator a complete inventory of all the properties and assets (including particulars of donations received, book of accounts, investments and belongings) forming part of, or relatable to the Institution immediately before the appointed day and all liabilities and obligations of the Society in relation to the Institution subsisting immediately before that day and also of all agreements entered into by the Society in relation to the Institution and in force immediately before the appointed day. Section 10(1) of the proposed Bill powers have been delegated to Government to make an order cancelling or varying (either unconditionally or subject to such conditions, as it may think fit to impose) any contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement, if the Government is satisfied, after such inquiry, as it may think fit, that such contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement entered into at any time in relation to the Institution with any other person, in so far as such contract, transfer, lease, agreement or any other arrangement relates to the management of the Institution, has been entered into in bad faith, or is detrimental to the interests of the Institution. Under Section 15(1) of the proposed Bill powers have been delegated to the Government to make rules to carry out the purposes of this Act. Under Section 16(1) of the proposed Bill powers have been delegated to the Government to make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing any difficulty arising in giving effect to the provisions of this Act.

Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rule of the procedure and Conduct of the Business of the Haryana Legislative assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०

अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025 हरियाणा राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता में पडने वाली, गांव सिलोखरा, जिला गुरूग्राम की राजस्व सम्पदा में स्थित अपर्णा संस्था का लोकहित में उचित तथा कुशल प्रबंधन और नियंत्रण सीमित अवधि के लिए ग्रहण करने हेतू और उससे संबंधित तथा इसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

1.

- (1) यह अधिनियम अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।
 - यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। (2)

परिभाषाएं।

- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-2.
 - ''प्रशासक'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक; (क)
 - "नियत दिन" से अभिप्राय है, राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तिथि; (ख)
 - "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार; (ग)
 - ''संस्था'' से अभिप्राय है, गांव सिलोखरा, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम, हरियाणा (ਬ) में स्थित अपर्णा संस्था;
 - ''सम्पत्ति'' से अभिप्राय है, गांव सिलोखरा, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम की राजस्व (ड.) सम्पदाओं में स्थित 24 एकड़ 16 मरला मापन भूमि और उस पर विद्यमान सभी भवन, और संस्था का भाग रूप बनने वाली, या से सम्बन्धित किसी भी स्वरूप की अन्य सभी सम्पत्तियां और ऐसी सम्पत्तियों से उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित:
 - ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित; (च)
 - ''सोसाइटी'' से अभिप्राय है, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय (छ) अधिनियम २1) के अधीन पंजीकृत अपर्णा आश्रम सोसाइटी (पंजीकरण संख्या 1973–74 का एस-5766), जिसका पंजीकृत कार्यालय ए-50, फ्रेंड्स कॉलोनी, मथुरा रोड, नई दिल्ली में है।

सरकार में संस्था का प्रबंधन और नियंत्रण निहित होना।

संस्था की सम्पत्ति का प्रबंधन, नियंत्रण और कब्जा नियत दिन से ठीक पहले संस्था के प्राधिकरण / शासकीय परिषद्, चाहे किसी नाम से ज्ञात हो, के प्रबन्धनाधीन और नियंत्रणाधीन था, नियत दिन से ही और उसके बाद दस वर्ष की अवधि के लिए सरकार में निहित होगा, और नियत दिन से ठीक पहले संस्था के कारबार तथा मामलों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्ति. ऐसे नियंत्रण और प्रबंधन का प्रयोग करना बंद कर देंगे और ऐसे रूप में उन द्वारा अपने पदों को छोड दिया गया समझा

परन्तु यदि सरकार की राय है कि दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद संस्था के उचित और कुशल प्रबन्धन और इसके आगामी विकास को सुनिश्चित करने के लिए, वह ऐसी अवधि, जो एक बार में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो यह उचित समझे, ऐसे प्रबन्धन को जारी रखने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

अन्य विधियों का अध्यारोही प्रभाव।

- संस्था के ज्ञापन में तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी,-
 - नियत दिन से ही, संस्था का प्राधिकरण / शासकीय परिषद, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, का प्रत्येक सदस्य, संस्था के सम्बन्ध में प्रबन्धन तथा नियन्त्रण की किसी भी शक्ति, जो भी हो, का प्रयोग करना बंद कर देगा;
 - संस्था के प्राधिकरण / शासकीय परिषद्, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रीति, जो भी हो, में संस्था के प्रबंधन और नियंत्रण या संस्था का भाग रूप बनने वाली, या से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की इसकी सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार और हितों की देखभाल करने के लिए नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करना विधिपूर्ण नहीं होगा;

- (ग) संस्था के प्राधिकरण / शासकीय परिषद्, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के सदस्यों द्वारा संस्था के संबंध में पारित कोई भी प्रस्ताव प्रभावी नहीं होगा;
- (घ) संस्था के विघटन या सोसाइटी का किसी अन्य संस्था में विलय या संस्था का भाग रूप बनने वाली, या से संबंधित किसी भी आस्ति, जिसका धारा 3 के अधीन प्रबंधन और नियंत्रण सरकार में निहित है, के संबंध में रिसीवर की नियुक्ति के लिए सरकार की लिखित सहमति के सिवाय किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
- 5. (1) सरकार, नियत दिन से, संस्था के प्रबन्धन को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए इसके और इसके निमित्त ऐसी रीति में और ऐसी योग्यताएं और अनुभव, जो विहित किए जाएं, रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी।

प्रशासक तथा उसकी शक्तियां।

- (2) इस प्रकार नियुक्त प्रशासक, सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) या तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकरण / शासकीय परिषद, चाहे जिस किसी भी नाम से ज्ञात हो, की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
- (3) प्रशासक, समय–समय पर, ऐसी रीति, जिसमें वह संस्था के प्रबन्धन का संचालन करेगा या ऐसे प्रबन्धन के दौरान उत्पन्न होने वाले इसके आगामी विकास सहित किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में सरकार से अनुदेश प्राप्त करेगा।
- (4) प्रशासक, सरकार की पूर्व अनुमित से, संस्था के संचालन और प्रबंधन के लिए किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों), प्रशासक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग उसी रीति में करेगा, जो उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त की गई हों न कि प्राधिकार के माध्यम से।
- (5) प्रशासक, सरकार के लिए अथवा की ओर से संस्था के प्रबन्धन को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों हेतु उप–धारा (4) के अधीन नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को अपनी किसी भी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (6) प्रशासक को संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने. का प्रतिवाद करने या में भाग लेने की शक्ति होगी।
- (7) प्रशासक तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) ऐसा पारिश्रमिक, प्राप्त करेगा, जो विहित किया जाए।
- 6. सरकार, संस्था के उचित और कुशल प्रबन्धन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने और प्रशासक की सहायता हेतु, ऐसी योग्यताएं तथा अनुभव, जो विहित किए जाएं, रखने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करेगी।

समिति का गठन।

7. सरकार, प्रशासक या समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किए गए आवेदन पर, इसके द्वारा संस्था के कारबार तथा मामलों के प्रबन्धन तथा इसके आगामी विकास के प्रयोजनों हेतु यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर, संस्था को अनुदान या अग्रिम प्रदान कर सकती है।

सरकार द्वारा अग्रिम तथा अनुदान।

8. समिति की सहायता से प्रशासक निम्नलिखित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगा, अर्थात्:—

- संस्था के लक्ष्य तथा उद्देश्य।
- (i) जन साधारण को अपने स्वास्थ्य और शक्ति को पुनः प्राप्त करने, समस्याओं और बीमारियों, जो योगाभ्यास के सहारे से सुसाध्य हैं, का उपचार करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार के माध्यम से जनता में योग के उपयोगी ज्ञान के विस्तार के माध्यम से योग को अधिक लोकप्रिय बनाना;
- (ii) योग कला तथा विज्ञान और इसके बहुआयामी पहलुओं की किसी प्रकार की विशिष्टता, चाहे जो भी हो, के बिना विशेषतः इसके उच्चतर स्तरों के बारे में लोगों को शिक्षित करना;
- (iii) योग के क्षेत्र में व्यावहारिक पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेना और मानवता के कल्याण तथा उन्नति हेतु इसके उपयोग के लिए सुसाध्य बनाना;
- (iv) बेहतर सोसाइटी के निर्माण की दृष्टि से स्वस्थ जीवन जीने की कला और एलएसडी (लिसेर्जिक एसीड डायथाईलैमाइड) और अन्य नकली ड्रग्स और पेयों के उपभोग की हानिकारक आदतों के उन्मूलन हेतु लोगों को शिक्षित करना;
- (v) मानसिक तनाव से बचने तथा मानसिक असंतुलन को दूर करने के प्राकृतिक और सरल तरीके सिखाना;
- (vi) आत्म—शुद्धि, सार्वजनिक भाईचारे, शांति तथा आध्यात्मिक मूल्यों के लिए वातावरण बनाना तथा उसके लिए स्विधाएं तथा प्रशिक्षण देना;

- (vii) सम्मेलन, व्याख्यान, सेमीनार, टूर आयोजित करना तथा अध्ययन समूह तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना;
- (viii) योग की व्यापक तथा गहन समझ के प्रसार की दृष्टि से उस पर पुस्तकें, विभिन्न अन्य प्रकाशन तथा साहित्य प्रकाशित करना और जीवन शैली और विकसित प्रणाली के रूप में इसकी स्वीकार्यता को प्रोत्साहित करना;
- (ix) संस्था के किन्हीं उद्देश्यों को उन्नत करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था को सहायता, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, अथवा किसी अन्य प्रकार का लाभ देना;
- (x) संस्था द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए और / या उनके ज्ञान और अनुभव से संस्था को लाभ पहुँचाने के लिए विद्वानों को आमंत्रित करना;
- (xi) किन्हीं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने, की प्राप्ति, या को आगे बढ़ाने में शाखाओं, केन्द्रों, जहां भी आवश्यक समझे जाएं, को स्थापित करना या स्थापित करवाना;
- (xii) उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में धनराशि तथा निधियों के लिए अनुरोध करना तथा आवेदन करना और नकदी या किसी भी स्वरूप में उपहार, दान तथा अभिदान स्वीकार करना;
- (xiii) समरूप उद्देश्यों में लगे हुए संघों, संस्थाओं, सोसाइटियों इत्यादि की सहायता लेना या से सहयोग करना या से समन्वय करने के लिए सहायता मांगना;
- (xiv) संस्था द्वारा प्राप्त किए गए अग्रिम, अनुदान, धनराशि तथा किसी अन्य राशि को रीति, जो विहित की जाए, में निवेश करना तथा संव्यवहार करना;
- (xv) संस्था के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में, आवश्यक या सुविधाजनक किसी चल अथवा अचल संपत्ति का स्थायी या अस्थायी रूप से अर्जन, क्रय या अन्यथा पट्टे या किराए पर लेना और ऐसी भूमि का रख–रखाव करना, की जुताई करना या पर निर्माण करना;
- (xvi) आश्रम, योग अतिथि गृह स्थापित करना, कृषि तथा डेयरी फार्मिंग आरम्भ करना, बागवानी तथा पौधारोपण कार्य करना और स्वास्थ्य रिजोर्ट और तैराकी स्थलों का स्थापन और रख—रखाव करना;
- (xvii) किसी भवन या संकर्म, जो आवश्यक अथवा इससे प्रासंगिक हों, का निर्माण, रख—रखाव, बदलाव, सुधार या विकास करना;
- (xviii) ऐसे निबंधनों, जो आवश्यक समझे जाएं, पर धनराशि उधार लेना;
- (xix) संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के कल्याण का ध्यान रखना और सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जो आवश्यक समझी जाएं;
- (xx) ऐसे सभी विधिपूर्ण कार्य करना, जो सभी या किन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने या बढ़ावा देने में आवश्यक और सहायक समझे जाएं।

संस्था की सम्पत्ति के कब्जे का परिदान।

- 9. (1) नियत दिन को संस्था का भाग बनने वाली या से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति (सम्पत्तियों) का कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी सम्पत्ति (सम्पत्तियों) का प्रशासक या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, को ऐसी सम्पत्ति (सम्पत्तियों) का तूरन्त परिदान करेगा।
- (2) नियत दिन को ऐसा व्यक्ति, जिसके कब्जे में या जिसके नियंत्रणाधीन, संस्था से सम्बन्धित कोई पुस्तक, पेपर या अन्य दस्तावेज (नियत दिन से पूर्व संस्था के प्रबन्धन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए संस्था के सम्बन्ध में संकल्पों वाली कार्यवृत्त पुस्तकों, संस्था से सम्बन्धित चालू चेक—बुक, कोई पत्र, ज्ञापन, नोट्स और उसके और संस्था के बीच किसी अन्य पत्र—व्यवहार सहित) तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, पुस्तकों, पेपरों तथा अन्य दस्तावेजों (ऐसी कार्यवृत्त पुस्तकों, चेक—बुकों, पत्रों, ज्ञापन, नोट्स तथा अन्य पत्र—व्यवहारों सहित) का लेखा—जोखा, प्रशासक या ऐसे व्यक्ति (सरकार का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी होते हुए) जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, को देने हेतु दायी होगा।
- (3) नियत दिन से ठीक पूर्व संस्था के प्रबन्धन का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, उस दिन से सात दिन के भीतर या ऐसी ओर अवधि, जिसे सरकार, इस निमित्त अनुमत करे, प्रशासक को संस्था का भाग बनने वाली या से सम्बन्धित सभी सम्पत्तियों और आस्तियों (प्राप्त किए गए दानों, लेखा बहियों, निवेशों और सामानों सिहत) की सम्पूर्ण सूची और उस दिन से ठीक पहले विद्यमान संस्था के सम्बन्ध में सोसाइटी की सभी देयताओं और बाध्यताओं और नियत दिन से ठीक पहले संस्था के सम्बन्ध में सोसाइटी द्वारा किए गए और लागू सभी करारों को भी प्रस्तुत करेगा।

10. (1) यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसी जांच, जो यह उचित समझें, करने के बाद, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संस्था के सम्बन्ध में किसी भी समय की गई कोई संविदा, अन्तरण, पट्टा, करार या कोई अन्य समझौता, जहाँ तक कि संस्था के प्रबन्धन से सम्बन्धित ऐसी संविदा, अन्तरण, पट्टा, करार या कोई अन्य समझौता, दुर्भावपूर्वक किया गया है, या संस्था के हितों के लिए हानिकर है, तो यह ऐसी संविदा, अन्तरण, पट्टे, करार या किसी अन्य समझौते को रद्द करने या परिवर्तित करने (या तो शर्त के बिना या ऐसी शर्तों, जो यह लगाना उचित समझे, के अध्यधीन) के आदेश कर सकती है, और इसके बाद, संविदा, अन्तरण, पट्टा, करार या कोई अन्य समझौता तद्नुसार प्रभावी होगाः

दुर्भावपूर्वक की गई संविदाओं, अन्तरणों इत्यादि को रद्द या परिवर्तित किया जा सकना।

परन्तु संविदा या करार के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के सिवाय, कोई भी संविदा या करार, रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) तत्समय लागू किसी विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में कोई संविदा, अन्तरण, पट्टा, करार या अन्य समझौतों को उप—धारा (1) के अधीन समाप्त किया गया हैं, तो ऐसे अन्तरण, पट्टे, करार या अन्य समझौतों के समयपूर्व समापन के लिए किसी मुआवजे का दावा करने हेतु हकदार नहीं होगा।

11. कोई व्यक्ति जो,-

अपराध और दण्ड।

- (क) संस्था का भागरूप बनने वाली या से सम्बन्धित किसी आस्ति या सम्पत्ति का कब्जा या अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है, प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से ऐसी आस्ति या सम्पत्ति को सदोषपूर्वक विधारित करता है; या
- (ख) संस्था का भागरूप बनने वाली या से सम्बन्धित ऐसी किसी आस्ति या सम्पत्ति का सदोषपूर्वक कब्जा प्राप्त करता है; या
- (ग) संस्था का भागरूप बनने वाली या से सम्बन्धित किसी आस्ति या सम्पत्ति को जानबूझकर रखता है, या हटाता है, या इसे नष्ट करता है; या
- (घ) संस्था से सम्बन्धित किसी पुस्तक, पेपर या अन्य दस्तावेजों, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, को प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदान करने से जानबूझकर रोकता है या में असफल रहता है; या
- (ङ) किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 9 की उप–धारा (3) में यथा उपबन्धित सम्पत्तियों और आस्तियों की किसी सूची को प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

तो ऐसी अवधि के कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

12. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, तो वहाँ कम्पनी के साथ—साथ अपराध किए जाने के समय उसके कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्रवाई तथा दण्डित किए जाने के लिए दायी होगाः

कम्पनियों द्वारा अपराध।

परन्तु इस उप—धारा में दी गई कोई भी बात, ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड का दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को होने से रोकने के लिए हर सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है या किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य कर्मचारी की किसी सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या के भाग पर किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य कर्मचारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही और दिण्डत किए जाने का दायी होगा।

व्याख्या:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "कम्पनी" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय तथा इसमें कोई फर्म या अन्य व्यष्टि संगम शामिल हैं; तथा
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्राय है, फर्म में कोई भागीदार।
- 13. सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार, इसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, प्रशासक या इस अधिनियम या इसके अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 14. इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के कारण प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश में दी गई अन्असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन की गई किसी अधिसूचना, आदेश या बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

नियम बनाने की शक्ति।

- **15.** (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

किनाइयां दूर करने की शक्ति। **16.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

चूँिक, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, एक प्रसिद्ध योग गुरु का मानना था कि योग सभी समस्याओं और उन बीमारियों का एकमात्र समाधान है, जो एलोपैथिक / अन्य प्रकार के उपचारों से ठीक नहीं हो सकती हैं। उन्होंने शारीरिक प्रदर्शनों एवं इसके लाभों के बारे में व्याख्यान के माध्यम से योग को लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके प्रयासों से लोगों को कुछ लाभ तो हुआ, लेकिन ऐसे लाभों के आयाम सीमित थे। कुछ समय बाद अपने प्रयासों की समीक्षा करने पर उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्र की स्वास्थ्य समस्या को व्यक्तिगत प्रयासों से प्रभावी ढंग से ठीक नहीं किया जा सकता है और मानवता को बड़े पैमाने पर लाभ सुनिश्चित करने के लिए, संस्थायन के माध्यम से योग को और अधिक लोकप्रिय बनाने की बहुत आवश्यकता है तािक लोग योग के अभ्यास का सहारा लेकर अपने स्वास्थ्य और शक्ति को पूनः प्राप्त कर सकें।

और चूंकि, इसके आगे, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच योग के उपयोगी ज्ञान के प्रसार के लिए सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन अपर्णा आश्रम (पंजीकरण संख्या एस—5766, 1973—74) के नाम और शैली से एक सोसाइटी जिसका पंजीकृत कार्यालय ए—50, फ्रेंड्स कॉलोनी, मथुरा रोड, नई दिल्ली में है, को रिजस्ट्रार सोसाइटीज दक्षिण पूर्व जिला, नई दिल्ली के पास निगमित और पंजीकृत कराया।

और चूंकि, उक्त सोसाइटी को निगमित करने के अलावा, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने संस्था के ज्ञापन (एम.ओ.आई.) के माध्यम से एक अलग इकाई के रूप में अपर्णा नामक एक संस्था भी बनाई और उक्त संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वयं सिहत चार सदस्यों वाली इसकी स्वतंत्र शासकीय परिषद का गठन किया और संस्था का नियंत्रण और प्रबंधन उसे सौंपा। एम.ओ.आई. के अंतर्गत उल्लिखित लक्ष्य और उद्देश्य संस्था को योग आश्रम, अतिथि गृह, कृषि और डेयरी फार्मिंग, बागवानी, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य रिसॉर्ट और तैराकी स्थलों की स्थापना के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति को प्राप्त करने, खरीदने या स्वामित्व करने का अधिकार देते हैं। उक्त सोसाइटी आम जनता के लाभ के लिए बनाई गई थी, इसलिए उक्त सोसाइटी सार्वजनिक ट्रस्ट की परिभाषा के अधीन आती है।

और चूंकि, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उक्त संस्था को योग के अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण केंद्र, विभिन्न रोगियों के चिकित्सा केंद्र और दुनिया के विभिन्न योग विद्वानों के लिए एक सम्मेलन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनका विचार था कि वर्तमान मशीनी दुनिया में योग के ज्ञान को फैलाने की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों में शारीरिक और मानसिक बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप निराशा, हताशा और मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं।

और चूंकि, प्रस्तावित संस्था की स्थापना, विकास और स्थापना के लिए स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने केंद्र सरकार से समय—समय पर प्राप्त दान, अनुदान और वित्तीय सहायता की मदद से अपर्णा आश्रम के नाम पर, गाँव सिलोखरा, तहसील वजीराबाद, जिला गुरुग्राम की राजस्व संपदा के अंदर स्थित 24 एकड़ 16 मरला भूमि खरीदी और उक्त भूमि संस्था में निहित कर दी। तत्पश्चात, करोड़ों रुपये खर्च करके उक्त भूमि पर विभिन्न भवनों का निर्माण किया गया तथा उसमें योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गईं। उक्त संस्था गुरुग्राम के सेक्टर—30 के निकट स्थित है।

और चूंकि, वर्ष 1989 में, हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन दिनांक 30.01.1989 को अधिसूचना प्रकाशित की थी, जिसमें अधिसूचित किया गया था कि उसमें वर्णित भूमि गांव सिलोखरा और सुखराली, तहसील और जिला गुरूग्राम सार्वजिनक उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जिसमें संस्था की उपरोक्त भूमि और भवन भी शामिल हैं। उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, सोसाइटी की आम सभा और / या शासकीय परिषद को संस्था की उक्त भूमि और भवन को एक स्वतंत्र एजेंट के रूप में व्यवहार करने और उसके संबंध में किसी भी प्रकार का भार बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5क के अधीन दिनांक 07.03.1989 को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष उक्त भूमि और संस्था के भवन को उसमें वर्णित आधारों पर अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। उक्त आपित्तयों को खारिज कर दिया गया और धारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 25.01.1990 को घोषणा जारी की गई थी। इससे व्यथित होकर स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सी.डब्लू.पी. संख्या 3117 / 1990 दायर की, जिसमें उक्त अधिसूचनाओं को रदद् करने के लिए प्रमाण—पत्र जारी करने की प्रार्थना की गई। उक्त रिट याचिका के कथनों के अवलोकन से स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जीवन के मिशन और उन लक्ष्यों और उद्देश्यो का पता चलता है, जिनके साथ उन्होंने उक्त सोसाइटी को निगमित किया तथा पंजीकृत कराया।

और चूंकि दिनांक 09.06.1994 को स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके निधन के बाद सोसायटी दो समूहों में विभाजित हो गई, एक का नेतृत्व लक्ष्मण चौधरी तथा दूसरे का नेतृत्व मुरली चौधरी कर रहे थे। बाद में मुरली चौधरी ने अपने समूह के सुभाष दत्त और के.एस. पठानिया को सोसाइटी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया तथा उक्त व्यक्तियों ने अपना अलग समूह बना लिया। समय—समय पर इन समूहों ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को भर्ती किया।

और चूंकि, पिछले कई वर्षों से सोसाइटी और इसके सदस्यों के बीच आपसी विवाद चल रहा है और पिछले दो दशकों से अधिक समय से ये समूह एक—दूसरे के साथ मुकदमेबाजी कर रहे हैं। ये समूह अपने निजी लाभ के लिए संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध उक्त भूमि और भवन को अवैध और अनाधिकृत रूप से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि संस्था की चल और अचल संपत्ति नष्ट हो सकती है, जिससे संस्था का मूल उद्देश्य, जिसके साथ संस्था वनाई गई थी, ही विफल हो जाएगा। इसलिए संस्था के प्रबंधन, प्रशासन, नियंत्रण और गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, संस्था

के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने और एक योग गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए इसका प्रबंधन और नियंत्रण ग्रहण करना जनहित में समीचीन है। उक्त संस्था के प्रबंधन के ग्रहण में किसी भी प्रकार का विलंब उक्त संस्था के हितों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ—साथ आम जनता के लिए भी अत्यधिक हानिकारक होगा। इस प्रयोजन के लिए उक्त संस्था का प्रबंधन और नियंत्रण ग्रहण करने का उपबंध किया गया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

राव नरबीर सिंह, उद्योग मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ : दिनांक 24 मार्च, 2025. डॉ० सतीश कुमार, सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक 2025 की धारा 7 में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार प्रशासक या समिति द्वारा किए गए आवेदन पर संस्था के व्यवसाय और मामलों के प्रबंधन तथा इसके आगे के विकास के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों और नियमों पर संस्था को अनुदान या अग्रिम दे सकती है। हालाँकि इस स्तर पर अग्रिम या किसी अनुदान का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025 की धारा 3 के तहत दस वर्ष की अविध के लिए संस्था की संपत्ति के प्रबंधन, नियंत्रण और कब्जे के लिए सरकार को शक्तियां सौंपी गई हैं। प्रस्तावित विधेयक की धारा 5(1) के तहत सरकार को प्रशासक नियुक्त करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। प्रस्तावित विधेयक की धारा 5(3) के तहत सरकार को शक्तियां सौंपी गई हैं कि प्रशासक किस तरह संस्थान का प्रबंधन संचालित करेगा या ऐसे प्रबंधन के दौरान उत्पन्न होने वाले इसके आगे के विकास सिहत किसी अन्य मामले के संबंध में। प्रस्तावित विधेयक की धारा 5(4) के तहत संस्थान के संचालन और प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को नियुक्त करने हेत् प्रशासक को लिखित अनुमोदन देने की शक्तियां सरकार को सौंपी गई हैं। प्रस्तावित विधेयक की धारा 6 के अंतर्गत सरकार को एक समिति गठित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे, जैसा कि संस्थान के समुचित और कुशल प्रबंधन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने तथा प्रशासक की सहायता के लिए निर्धारित किया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 7 के अंतर्गत सरकार द्वारा संस्था को अनुदान या अग्रिम देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, ऐसी शर्तों और नियमों पर, जैसा कि सरकार संस्था के कारोबार और मामलों के प्रबंधन तथा प्रशासक या समिति द्वारा किए गए आवेदन पर इसके आगे के विकास के लिए निर्दिष्ट कर सकती है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 9(1) के अंतर्गत सरकार को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह अपने किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अधिकृत कर सके कि वह संस्था का हिस्सा बनने वाली या उससे संबंधित किसी भी संपत्ति को, नियत दिन पर, उसके कब्जे, संरक्षण या नियंत्रण में ऐसी संपत्ति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से ले ले। प्रस्तावित विधेयक की धारा 9(2) के अंतर्गत सरकार को ऐसे अन्य व्यक्ति (सरकार का अधिकारी या अन्य कर्मचारी होने के नाते) को अधिकृत करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से पुस्तकों, कागजातों और अन्य दस्तावेजों (जिनमें कार्यवृत्त पुस्तकें, चेक बुक, पत्र, ज्ञापन, नोट्स और अन्य संचार शामिल हैं) का लेखा-जोखा ले, जिसके कब्जे में या नियंत्रण में नियत दिन को संस्था से संबंधित कोई पुस्तक, कागज या अन्य दस्तावेज हैं (जिनमें नियत दिन से पहले संस्था के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा संस्था के संबंध में अपनाए गए संकल्पों वाली कार्यवृत्त पुस्तकें, संस्था से संबंधित वर्तमान चेक बुक, उसके और संस्था के बीच कोई पत्र, ज्ञापन, नोट्स और अन्य संचार शामिल हैं)। प्रस्तावित विधेयक की धारा 9(3) के अंतर्गत सरकार को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वह संस्था के प्रबंधन के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को नियत दिन से ठीक पहले संस्था का हिस्सा बनने वाली या उससे संबंधित सभी संपत्तियों और परिसंपत्तियों (प्राप्त दान, लेखा बही, निवेश और सामान के विवरण सहित) की पूरी सूची प्रशासक को सौंपने के लिए नियत दिन से ठीक पहले की अवधि बढ़ा सके और संस्था के संबंध में सोसायटी की सभी देनदारियों और दायित्वों की सूची भी प्रस्तुत कर सके जो उस दिन से ठीक पहले अस्तित्व में थीं और साथ ही संस्था के संबंध में सोसायटी द्वारा किए गए सभी समझौतों की सूची भी प्रस्तुत कर सके जो नियत दिन से ठीक पहले लागू थे। प्रस्तावित विधेयक की धारा 10(1) के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अनुबंध, हस्तांतरण, पट्टे, करार या किसी अन्य व्यवस्था को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह लागू करना उचित समझे का आदेश दे सकती है, यदि सरकार ऐसी जांच के बाद, जैसा वह उचित समझे, संतुष्ट हो कि संस्थान के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी समय किया गया ऐसा अनुबंध, हस्तांतरण, पट्टा, करार या कोई अन्य व्यवस्था, जहां तक ऐसा अनुबंध, हस्तांतरण, पद्मा. करार या कोई अन्य व्यवस्था संस्थान के प्रबंधन से संबंधित है, दुर्भावना से की गई है या संस्थान के हितों के लिए हानिकारक है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 15(1) के तहत सरकार को इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं। प्रस्तावित विधेयक की धारा 16(1) के तहत सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होने वाले ऐसे प्रावधान बनाने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं जो इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं।

अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 के अन्तर्गत अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के सम्बन्ध में ज्ञापन संलग्न है।